चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 23.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 23.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में रमजान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

02 वांछित, 08 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वांछित 08 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). उ0 नि0 श्री अजहर जमाल थाना बहिलपुरवा मय हमराह आरक्षी मोनू राय द्वारा मु0अ0सं0 14/25 धारा 137(2),64, बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र जगजीवन यादव निवासी राजीव नगर खेड़ा थाना कबरई जनपद महोबा को गिरफ्तार किया।

(ii). उ0 नि0 श्री गौरव तिवारी व उ0नि0 श्री अनिल कुमार मिश्रा मय हमराह आरक्षी कुलदीप द्विवेदी द्वारा मु0नं0 1405/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त जगदीश निषाद उर्फ बिल्लू पुत्र रामचरन निवासी जगदीशगंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट व मु0नं0 518/19 अ0सं0 111/18 धारा 279,337,338,304ए भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त भोला पुत्र रामआसरे निवासी कालूपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(iii). उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना राजापुर मय हमराह आरक्षी चंदन विश्वकर्मा द्वारा मु0नं0 1365/20 धारा 138 एनआई एक्ट के वारण्टी अभियुक्त अशोक धर द्विवेदी पुत्र रामलखन निवासी नादिन कुर्मियान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(iv). उ0नि0 श्री जंग बहादुर सिंह थाना पहाड़ी मय हमराह आनन्द प्रताप सिंह द्वारा मु0नं0 242/23 अ0सं0 19/20 धारा 376/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त मनोज पुत्र नत्थू निवासी ग्राम देवल थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(v). अपराध निरीक्षक श्री विनय विक्रम सिंह थाना मानिकपुर मय हमराह उ0नि0 अरविन्द द्विवेदी, आरक्षी अजीजउद्दीन, आरक्षी जलील अहमद द्वारा मु0अ0सं0 67/24 धारा 13 जुआ अधिनियम के अभियुक्तगण 1. उमेश प्रसाद बरनवाल पुत्र स्व0 ईश्वर लाल बरनवाल नि0 आसनसोल पश्चिम बंगाल 2. अर्जुन गुप्ता पुत्र स्व0 मिठाईलाल गुप्ता नि0 विठ्ठलपुर औराई जिला भदोही 3.राजकुमार पुत्र रामचन्द्र नि0 पुरुषोत्तमपुर औराई जिला भदोही 4. विनोद पुत्र रामसागर नि0 सुजातपुर औराई गोपीगंज जिला भदोही को गिरफ्तार किया।

(vi). उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय थाना सरधुवा मय हमराह आरक्षी राहुल पुरी द्वारा मु0अ0सं029/25 धारा 65(1)/351(2) बीएनएस व 4(2) पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/ एसटी एक्ट के वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र राकेश तिवारी निवासी गडौली थाना सरदुआ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त नेपाली उर्फ विकास रैकवार पुत्र नवल किशोर निवासी पासी तिराहा थाना

कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 किलो 200 ग्राम सूखा नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

1 किलो 200 ग्राम सूखा गांजा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह

2.आरक्षी शिवपूजन

(5).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह द्वारा भोली भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1. सुंदरम मिश्रा 2. छोटू पुत्रगण होरिल उर्फ होरीलाल निवासी ओरा 3.सोने यादव उर्फ सुरेन्द्र पुत्र रामप्रसाद निवासी मकरी पहरा 4. पुनीत पुत्र रामसनेही 5. रामसनेही पुत्र भागवत प्रसाद निवासी भभौर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी।